रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2013/ज्येष्ठ 28 1935
No. 294] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2013/JYAISTHA 28, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

सा.का.नि. 379(अ).—जबकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि औषध पिओग्लाइटेजोन और पिओग्लाइटेजोन युक्त सभी औषध फार्मूलेशनों के उपयोग से मानव के लिए खतरा होने की संभावना है और जबकि उक्त औषध के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और जबकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि देश में जनहित में इस औषध का बिक्री के लिए उत्पादन, बिक्री और संवितरण पर रोक लगाकर विनियमित करना अनिवार्य और उचित है;

अत:, अब केन्द्र सरकार औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित औषध के बिक्री हेतु उत्पादन, बिक्री और संवितरण पर एतद्द्वारा रोक लगाती है :

''मानव सेवन के लिए पिओग्लाइटेजोन और पिओग्लाइटेजोन युक्त सभी फार्मूलेशन ।''

[फा. सं. 4-01/2011-डीसी/पिओग्ल]

अरूण कु. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2013

G.S.R. 379(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drug Pioglitazone and all drug formulations containing Pioglitazone are likely to involve risk to human beings and whereas safer alternatives to the said drug are available;

And whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to regulate the way of suspension of manufacture for sale, sale and distribution of the said drug in the country in public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby suspends the manufacture for sale, sale and distribution of the following drug with immediate effect :—

''Pioglitazone and all formulations containing Pioglitazone for human use''.

[F. No. 4-01/2011-DC/Piogl]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

2687 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.